सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री बाबुलाल जाट, R.A.S.

वादी		प्रतिवादीगण
1. नबीशेर पुत्र हुसैन खॉ, जाति कायमखानी, निवासी पुराना पावर हाउस के पास, कायम नगर, गली नम्बर 04, डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. हाफीज पुत्र फरीद खॉ, जाति कायमखानी, निवासी बच्छराज व्यास स्कुल के पिछे, डीडवाना 2. भंवरू पुत्र फरीद खॉ, 3. खातुन बानो पतिन नानू खॉ, जाति कायमखानी, निवासी दिनदरवाजा के पास, डीडवाना 4. बनवारीलाल पुत्र गोमाराम, जाति ब्राहाम्ण, निवासी परमानन्द कॉलोनी, डीडवाना 5. सीमा बुगालिया पत्नि दिनेश बुगालिया, जाति जाट, निवासी दयालपुरा, तहसील डीडवाना 6. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना

दायर दिनांक 21.08.2019

वाद संख्या: 2019/206

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट.

उपस्थित :–

1.श्री रणजीत बलारा अधिवक्ता वादी की और से।

2.श्री मोहम्मद रफिक अधिवक्ता प्रतिवादीगण की और से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 03.09.2019

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि खेत खसरा संख्या 2168 रकबा 8.07 बीघा वाके डीडवाना स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादी ने उक्त भूमि में से 1/4 अर्थात 2.01 बीघा मीरू खॉ, रूस्तम खॉ व रहीशा बानो से से जरिये रजिस्ट्री दिनॉक 15.03.2019 को क्रय की थी, तथा वादी की खातेदारी इसी अनुसार दर्ज हो गयी, उक्त खेत का मौखिक बंटवारा पक्षकारान ने आज से करीब 3 वर्ष पूर्व ही कर लिया था, जिसके अनुसार उक्त खेत में से पश्चिमी 2.01 बीघा भूमि वादी के बंट व कब्जा काश्त में आयी। तथा वादी के चिपते ही पूर्व में प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 के बंट व कब्जा काश्त में आयी, तथा प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 के चिपते ही प्रतिवादी नम्बर 04 बनवारी लाल के बंट व कब्जा काश्त में 2.02 बीघा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आयी, तथा पूर्वी 2.02 बीघा प्रतिवादी नम्बर 05 सीमा बुगालिया के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा इसी प्रकार पक्षकारान अपने अपने हिंस्सो पर काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। वादी ने इस बंटवारे को अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है। जो वाद का भाग है, नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। उक्त खेत का मौखिक बंटवारा हो चुका है, लेकिन कानूनी रूप से बंटवारा नहीं होने से काश्त के समय व सरकारी सहायता लेने में हर समय असुविधा रहती है, इस कारण वादी अपने खरीद सुदा, कब्जा सुद व बंट सुदा 2.01 बीघा भूमि का खाता अलग करवाना चाहता है जिसका की वह कानूनन हकदार है, अतः वादी को दावा बाबत बंटवारा का करना लाजमी आया है। वादी प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का जायज हकदार है, क्योंकि प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी व बंट के हिंस्से में किसी प्रकार का दखल नहीं करें, ऐसी स्थिति में वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना लाजमी आया है। बंटवारा के दावा में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होती है और उसके खिलाफ दावा करने से पूर्व दो माह की अवधी का 80 सी0 पी0 सी0 का नोटीस देना अनिवार्य होता है, लेकिन इस वाद में राज्य सरकार के खिलाफ कोई सहायता नहीं चाही है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 ने जरिय अधिवक्ता मोहम्मद रफिक के ईकबाली जबाब पेश किया, प्रतिवादी संख्या 06 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का **pw-1** नबी शेर का शपथ पत्र पेश किया, दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी की नकल प्रदर्श –1, वाद के साथ पेश नजरी नक्शा प्रदर्श –2 पेश किये।

वकिल वादी व प्रतिवादी की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

अधिवक्ता वादी वाद को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है। प्रतिवादीगण ने अपने ईकबाली जबाब में कथन किया है कि वादी द्वारा वाद के साथ पेश किया गया नजरी नक्शा सही है और नजरी नक्शा व वाद के फिकरा संख्या 02 में वर्णितानुसार हम सभी की भूमि का बंटवारा किया जाये तो हमें कोई एतराज नहीं है, तथा उक्त भूमि का बंटवारा करवाना चाहते है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके डीडवाना में स्थित वर्तमान खेत खसरा संख्या 2168 रकबा 8.07 बीघा, भूमि का वाद के फिकरा संख्या 02 में वर्णितानुसार व वाद के साथ पेश नजरी नक्शा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्रं खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, वाद का फिकरा संख्या 02 व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

(बाबुलाल जाट)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलारा : श्री बाबुलाल जाट, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2019/206 दायर दिनांक 21.08.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. नबीशेर पुत्र हुसैन खॉं, जाति कायमखानी, निवासी पुराना पावर हाउस के पास, कायम नगर, गली नम्बर 04, डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. हाफीज पुत्र फरीद खॉं, जाति कायमखानी, निवासी बच्छराज [illegible] स्कुल के पिछे, डीडवाना 2. भंवरू पुत्र फरीद खॉं, 3. खातुन बानो पतिन नानू खॉं, जाति कायमखानी, निवासी दिनदरवाजा के पास, डीडवाना 4. बनवारीलाल पुत्र गोमाराम, जाति ब्राहाम्ण, निवासी परमानन्द कॉलोनी, डीडवाना 5. सीमा बुगालिया पत्नि दिनेश बुगालिया, जाति जाट, निवासी दयालपुरा, तहसील डीडवाना 1. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :- 03.09.2019

यह मुकद्दमा आज ववास्स्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रणजीत बलारा, अधिवक्ता, वादी ओर से रफिक मोहम्मद अधिवक्ता प्रतिवादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि है दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद डीडवाना में स्थित खेत खसरा संख्या 2168 रकबा 8.07 बीघा, भूमि का वाद के फिकरा संख्या 02 में वर्णितानुसार व वाद के साथ पेश नजरी नक्शा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्रं खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, वाद का फिकरा संख्या 02 व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........-..........मुबलिंग............मुबलिंग..........-.............बाबत.............-............. खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....-............ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 03.09.2019 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर,
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर	–		बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर

डीडवाना (नागौर)

डीडवाना

Scanned by CamScanner